



Neutral Citation No - 2026:AHC:28657

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1906

श्री रमेश पाल सिंह राणा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आलोक कुमार गुप्ता

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार गुप्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि 26.09.1984 को उन्हें चकबंदी लेखपाल के पद पर नियुक्त किया गया था, तत्पश्चात् 23.01.2007 को उन्हें चकबंदी कर्ता के पद पर पदस्थापित किया गया और 03.01.2017 को उन्हें सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। 12.02.2019 को उन्हें निलंबित किया गया। 04.10.2019 को रिट याचिकाकर्ता को सेवा में पुनः स्थापित किया गया, तथापि रिट याचिकाकर्ता ने पारिणामिक परिलाभ प्रदान किए जाने हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसे 23.11.2023 को अस्वीकृत कर दिया गया। रिट याचिकाकर्ता का यह भी पक्ष है कि 22.07.2020 को रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई, तत्पश्चात् 17.06.2021 को एक आरोप-पत्र निर्गत किया गया। रिट याचिकाकर्ता ने उसका उत्तर दिया और 22.12.2022 को इस संबंध में एक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा 30.11.2023 को रिट याचिकाकर्ता अधिवर्षिता प्राप्त हुए, तथापि अब रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध जाँच संचालित करने हेतु एक नया जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

3. वर्तमान याचिका में प्रतिवादियों को अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने तथा रिट याचिकाकर्ता को समस्त पेंशन संबंधी परिलाभ संदत्त करने हेतु निर्देशित करने की याचना की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि एक बार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ हो जाने पर उसे उसमें विहित समयावधि के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई विलंब नहीं हो सकता।

5. इस निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने शालीनतापूर्वक इसे स्वीकार किया।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षकारों के निवेदनों एवं उनके द्वारा अपनाए गए पक्ष पर विचार करते हुए, रिट याचिका रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति सहित प्रतिवादी संख्या 2, चकबंदी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए निस्तारित की जा रही है। यह उपबंधित किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध इस प्रकार लंबित अनुशासनिक कार्यवाही पक्षकारों के सहयोग के अधीन, आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतिकरण की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से समाप्त की जाएगी, और यदि रिट याचिकाकर्ता को अनंतिम पेंशन संदत्त नहीं की जा रही है तो उन्हें अनंतिम पेंशन भी संदत्त की जाएगी।

7. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रिट याचिका प्रतिवादियों से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त किए बिना निर्णीत की गई है। अतः, इस आदेश का पारित किये जाने का यह मंतव्य नहीं लिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने मामले के गुणागुण पर कोई विचार किया है।

8. उपर्युक्त प्रेक्षण के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आशू

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"